भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 925
10.02.2025 को उत्तर के लिए

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के अंतर्गत भूमि की छूट प्राप्त श्रेणी

925. श्री राजा राम सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 100 किमी के भीतर स्थित राज्यीय भूमि का उपयोग राष्ट्रीय महत्व अथवा सुरक्षा हेतु सामरिक रैखिक परियोजना के निर्माण के लिए किए जाने के लिए प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 100 किलोमीटर की लंबाई के बैंचमार्क के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इस नीति के संदर्भ में सरकार ने हिमालयी राज्यों के पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) संसद द्वारा पारित वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी वन भूमि, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा, जैसा भी मामला हो,के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजना के निर्माण के लिए किया जाना प्रस्तावित है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है और तत्पश्चात इसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2023 से लागू किया गया है।

100 किलोमीटर की सीमा संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से तय की गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 1क(3) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29.11.2023 और दिनांक 24.09.2024 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अधिनियम की धारा 1क(2) के तहत दी गई छूट पर विचार करते समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है।

*****